

Office Of the Principal Government College Barwala (Hisar)


Notice

सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करवाई जा रही है। “My Vote is My Future: Power of One Vote” शीर्षक के अंतर्गत Quiz, Video, Song, Poster Design & Slogan Writing प्रतियोगिता करवाई जानी है जिसके लिए बड़ी इनाम राशी भी निर्धारित की गयी है। इसके लिए 10 मार्च को महाविद्यालय में स्क्रीनिंग की जाएगी। इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन करवाने के इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय में श्री सलेन्द्र सहरावत (हिंदी विभाग) से **Whatsapp** (9728817417) पर संपर्क कर सकते हैं।

नोडल अधिकारी
मतदाता जागरूकता

Jagdish Kumar
05/03/22


प्राचार्य 03/22
राजकीय महाविद्यालय
बरवाला (हिसार)



राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता

भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2022 के अवसर पर राष्ट्रव्यापी **मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता**– 'मेरा वोट मेरा भविष्य- एक वोट का महत्व' का शुभारंभ किया है। प्रतियोगिता का उद्देश्य आमजन की रचनात्मक अभिव्यक्ति के ज़रिये प्रत्येक मत का महत्व बताना है। आयोग के स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) कार्यक्रम के तहत यह राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता लोगों को अपनी प्रतिभा और सृजनशीलता को अभिव्यक्त करने का मौका देगी एवं उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को और अधिक सशक्त करने का कार्य करेगी। प्रतियोगिता में **किसी भी आयु-वर्ग** के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य लोकतंत्र में ज़रूरी प्रत्येक मत के महत्व की थीम पर संकलित विचारों एवं विषय-वस्तु को अभिव्यक्त करना है। प्रतियोगिता की वेबसाइट (<https://ecisveep.nic.in/contest/>) पर जाकर विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।

1. **प्रतियोगिता की समय-सीमा** – 25 जनवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक
2. **विषय**- “मेरा वोट मेरा भविष्य- एक वोट का महत्व”
3. **राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता पाँच श्रेणियों में विभाजित है। इसमें क्विज़ (प्रश्नोत्तरी), स्लोगन लेखन, गायन प्रतियोगिता, वीडियो बनाना और पोस्टर डिज़ाइन प्रतियोगिता शामिल है।**

1. **क्विज़ (प्रश्नोत्तरी):** क्विज़ प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत की चुनावी प्रक्रिया के बारे में प्रतिभागियों के जागरूकता स्तर को परखना है। इसमें मतदाताओं, मतदाता सूची, ईवीएम- वीवीपैट, निर्वाचन संबंधी कानून, ऐप और भारतीय चुनावों के इतिहास से संबंधित सवाल होंगे। प्रतियोगिता के **तीन स्तर (आसान, मध्यम और कठिन)** होंगे। इन तीनों स्तरों को पूरा करने के बाद प्रतिभागी ई-सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे।
2. **स्लोगन लेखन प्रतियोगिता:** प्रतियोगिता में भाग लीजिए और लोगों को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए उपर्युक्त थीम पर स्लोगन लिखिए।
3. **गायन प्रतियोगिता:** इस प्रतियोगिता का उद्देश्य गीत को माध्यम बनाकर आमजन की प्रतिभा को बढ़ावा देना है। गायन शास्त्रीय, समकालीन, रैप आदि सहित किसी भी रूप में किया जा सकता है। प्रतिभागी उपर्युक्त थीम पर अपनी मूल रचनाएं साझा कर सकते हैं। कलाकार और गायक अपनी पसंद के किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। गाने की अवधि **3 मिनट** से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. **वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता:** यह प्रतियोगिता सभी कैमरा प्रेमियों को एक ऐसा वीडियो बनाने का अवसर देती है जो भारतीय चुनावों की विविधता एवं उसके सकारात्मक पहलुओं को बता सके। प्रतियोगिता के मुख्य विषय के अलावा, प्रतिभागी निम्नलिखित विषयों को भी केंद्र में रखकर वीडियो बना सकते हैं: जागरूक एवं नैतिक मतदान (प्रलोभन मुक्त मतदान) का महत्व और वोट का महत्व: महिलाओं, दिव्यांग मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, युवा मतदाताओं और पहली बार मतदाता बने मतदाताओं के लिए मतदान के महत्व का चित्रण। प्रतिभागियों को उपर्युक्त में से किसी एक थीम पर एक वीडियो बनाना होगा। वीडियो की अवधि केवल **एक मिनट** की होनी चाहिये।

वीडियो, गायन एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टियाँ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली किसी भी आधिकारिक भाषा में दी जा सकती हैं।

5. **पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता:** यह प्रतियोगिता उन कलाप्रेमियों के लिये है जो अपने भावों को रंगों के माध्यम से कागज़ पर या डिजिटली उकेर सकते हैं। प्रतिभागी दिये गये विषय पर डिजिटल पोस्टर, स्केच या हाथ से पेंट किये गये पोस्टर बनाकर भेज सकते हैं। यह पोस्टर अच्छे रिज़ोल्यूशन का होना चाहिये।

4. प्रतियोगिता की उप- श्रेणियाँ-

प्रत्येक श्रेणी की तीन उप- श्रेणियाँ हैं। इनके अंतर्गत प्रतिभागी अपनी रचनायें भेज सकते हैं।

- **संस्थागत श्रेणी-** केन्द्र या राज्य सरकार के संगत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान/ संगठन; जैसे- विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय।

5. पुरस्कार एवं मान्यताएं

गायन प्रतियोगिता, वीडियो बनाने और पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता की तीन श्रेणियां हैं: संस्थागत, पेशेवर और गैर- पेशेवर। प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष तीन विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। साथ ही, प्रत्येक श्रेणी में एक विशेष उल्लेख श्रेणी होगी। इसके अंतर्गत नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। संस्थागत श्रेणी में 4 विशेष उल्लेख होंगे जबकि पेशेवर और गैर- पेशेवर श्रेणी में 3 विशेष उल्लेख होंगे।

क. गायन प्रतियोगिता-

| श्रेणी | प्रथम पुरस्कार | द्वितीय पुरस्कार | तृतीय पुरस्कार | विशेष उल्लेख |
|-------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| स्थागत | 1,00,000 | 50,000 | 30,000 | 15,000 |
| पेशेवर | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| गैर- पेशेवर | 20,000 | 10,000 | 7,500 | 3,000 |

ख. वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता-

| श्रेणी | प्रथम पुरस्कार | द्वितीय पुरस्कार | तृतीय पुरस्कार | विशेष उल्लेख |
|-------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| संस्थागत | 2,00,000 | 1,00,000 | 75,000 | 30,000 |
| पेशेवर | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| गैर- पेशेवर | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 |

ग. पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता-

| श्रेणी | प्रथम पुरस्कार | द्वितीय पुरस्कार | तृतीय पुरस्कार | विशेष उल्लेख |
|-------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| स्थागत | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| पेशेवर | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 |
| गैर- पेशेवर | 20,000 | 10,000 | 7,500 | 3,000 |

* सभी आँकड़े रुपये में

घ. स्लोगन लेखन प्रतियोगिता-

प्रथम पुरस्कार- 20,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार- 10,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार- 7,500 रुपये. पचास प्रतिभागियों को 2,000 रुपये का विशेष उल्लेख पुरस्कार दिया जायेगा।

ड. क्विज़ प्रतियोगिता (प्रश्नोत्तरी)-

विजेताओं को भारत निर्वाचन आयोग की आकर्षक मर्चेडाइज और बैज़ मिलेंगे। सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के तीनों स्तर पूरा करने पर ई-सर्टिफिकेट दिया जायेगा।

6. निर्णायक मंडल

विभिन्न श्रेणियों में प्रविष्टियों पर निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित निर्णायक मंडल द्वारा लिया जायेगा। प्रविष्टियों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

- प्रतिभागी, प्रतियोगिता की वेबसाइट <https://ecisveep.nic.in/contest/> पर जाकर विस्तृत दिशा-निर्देश, नियम और शर्तें पढ़ सकते हैं।
- प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियाँ पूरे विवरण के साथ voter-contest@eci.gov.in पर भेजेंगे। ईमेल के विषय में प्रतिभागी <प्रतियोगिता> और <श्रेणी> दोनों के नाम का साफ तौर पर उल्लेख करेंगे।
- क्विज़ प्रतियोगिता (प्रश्नोत्तरी) में भाग लेने के लिये प्रतिभागी को प्रतियोगिता की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।

सभी प्रविष्टियाँ 15 मार्च 2022 तक ईमेल आईडी: voter-contest@eci.gov.in पर प्रतिभागियों के विवरण के साथ भेजी जा सकेंगी।

8. सामान्य नियम व शर्तें

- सभी प्रविष्टियाँ 15 मार्च 2022 तक ई-मेल आईडी voter-contest@eci.gov.in पर भेजी जा सकेंगी।
- ऐसी प्रविष्टियाँ जिसमें आक्रामक अथवा अनुपयुक्त भाषा, किसी भी राजनीतिक पार्टी या धार्मिक समूह के प्रति अश्लील, या किसी संस्कृति या समुदाय विशेष के प्रति नस्लीय घृणास्पद सामग्री, अथवा असत्यापित सूचना हो, को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्रतिभागी एक प्रतियोगिता में सिर्फ एक ही प्रविष्टि भेज सकते हैं। यदि कोई प्रतिभागी एक ही प्रतियोगिता में एक से अधिक प्रविष्टि जमा करता है, तो उसकी सभी प्रविष्टियों को अमान्य माना जायेगा।
- गायन, वीडियो मेकिंग और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टियाँ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी आधिकारिक भाषा में भेजी जा सकती हैं। (कुल 22 आधिकारिक भाषायें हैं- असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगू, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोड़ो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी)। ध्यान रहे कि प्रविष्टियों में संदर्भ हेतु उपयुक्त उप-शीर्षक भी होने चाहिये।
- भारत निर्वाचन आयोग के पास प्रतियोगिता के किसी भाग और/ या प्रतियोगिता के नियम एवं शर्तों को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- इस प्रतियोगिता से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जायेगा। यह निर्णय अंतिम होगा।
- साहित्यिक चोरी नहीं- सिर्फ मूल प्रविष्टियाँ मान्य। ध्यान रहे कि प्रविष्टियाँ मूल होनी चाहिए और उनके द्वारा भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
- जमा की गयी प्रविष्टियाँ भारत निर्वाचन आयोग की एकमात्र संपत्ति होंगी। आयोग के पास इन प्रविष्टियों का उपयोग करने और संपादित करने का अधिकार होगा।
- प्रविष्टियों पर निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित निर्णायक मंडल द्वारा लिया जायेगा। प्रविष्टियों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।